

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक

मुंज 62/15 फर्द अहकाम तारीख रजूर 23.7.15

उगवान - अन्नपसिंह बजास विनोदसिंह

दावा बाबत घोषणा खोतदारी एवं ल्यायी निषेधाज्ञा

दावा की ओर से श्री रामभरोसी सुप्रा सप. के दावा बाबत घोषणा खोतदारी एवं ल्यायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों की आवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 3.8.15 को पेश है।

1729-36

23-7-15

उप जिला कलक्टर टोडाभीम (कपली)

3-8-15 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं. 1 से 6 की शामिल में के द्वारा हो चुकी है। 7-8 की शामिल हो चुकी है। प्रतिवादी नं. 9 व 4 की ओर से सीमावर्त सप. के वकालत जाग्रा पेश किया। तथा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी नं. 4 ज्यादा पट्टी लिखी गयी है। एवं प्राथमिक विधवा महिला है। तदधील का मुन्गी मेरे घर नोटिस देने गया। तब में अकेली थी। नोटिस को देख कर में धंधरा गयी। प्रतिवादी नं. 6 की शादी हो चुकी है वरु मेरी हुनी है। प्रतिवादी 2, 3, 5 से हमारा काम बोलचाल है। प्रतिवादी 2, 3, 5 का मेरी ओर से नोटिस नहीं लिया समझा जाय। पोसा चुनाव कार्य में व्यस्त है। आईन्दा दिनांक 23.9.15 को पेश है।

62/15 अनवान- अनूपसिंह बनाम विनोदसिंह वगैरे

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभ

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>एतराज दर्ज कराया। वादी वकील ने पुनः कथन लिखा कि वादी से सम्पर्क कर 7 दिन में तलवी पेश कर देगा। 16-2-18 तलवी बंद का मुकदमा खारिज कर देगा। 16-2-18 दि 16.2.18 को पेश हो।</p>
16.2.18	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं। कोर्ट का आवाज दिलवाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी भेरे कोर्ट उपस्थित नहीं। आपस हाजिरी एवं आपस पेशी में यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली के मुलुमात होकर न्याय से काम होकर दाखिल दफ्तार हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज०)</p>